उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 अंक 13 1-15 जुलाई 2026 ₹ 20/-

विवादित उपासना स्थलों पर सर्वोच्च न्यायालय का मध्यस्थता प्रस्ताव खारिज

- अहमदाबाद बम धमाकों के 38 दोषियों का मृत्युदंड बरकरार
- बुर्का न पहनने पर 30 अफगान महिलाएं गिरफ्तार
- सऊदी अरब पर हूतियों का बड़ा हमला
- मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों के मनोनयन पर बवाल

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

विवादित उपासना स्थलों पर सर्वोच्च न्यायालय का मध्यस्थता प्रस्ताव खारिज 04
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों के मनोनयन पर बवाल 07
अहमदाबाद बम धमाकों के 38 दोषियों का मृत्युदंड बरकरार 09
उत्तर प्रदेश में मदरसा सुधार समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी 11
त्रिपुरा के शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य 14

विश्व

प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया 16
शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश लौटने की घोषणा 19
बुर्का न पहनने पर 30 अफगान महिलाएं गिरफ्तार 20
पीओजेके में नागरिकों पर सेना की बर्बरता जारी 21
अमेरिका में मुस्लिम विरोधी भावना में बढ़ोतरी 22

पश्चिम एशिया

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई सुपुर्द-ए-खाक 24
ईरान और अमेरिका के बीच हमलों का सिलसिला फिर तेज 26
सऊदी अरब पर हूतियों का बड़ा हमला 29
हमास ने गाजा प्रशासन से खींचे हाथ 30
फिलिस्तीनी ग्रैंड मुफ्ती के अल-अक्सा प्रवेश पर प्रतिबंध 32

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन विवादित धार्मिक स्थलों- वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल के श्री हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद के मामलों को लोक अदालत के 'समाधान समारोह' के जरिए सुलझाने का प्रयास विफल रहा है। दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अदालत से इन विवादों का निपटारा कानूनी रास्ते से ही करने का अनुरोध किया है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि संसद द्वारा पारित पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के लागू होने के बाद किसी भी पक्ष को इन धार्मिक स्थलों की स्थिति बदलने या नया विवाद खड़ा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष की मांग है कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित इन सभी मुकदमों को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, हिंदू पक्ष का मानना है कि उनके पास पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं कि इन तीनों धार्मिक स्थलों को आक्रांताओं के फरमानों द्वारा ध्वस्त करके वहां मस्जिदों का निर्माण किया गया था।

केंद्र सरकार ने पिछले साल वक्फ (संशोधन) अधिनियम के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था की थी, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने अब लागू कर दिया है। कुछ मुस्लिम संगठन राज्य सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों ने पहले संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सामने भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थीं, लेकिन इसके बावजूद संसद ने वक्फ विधेयक को पारित कर दिया था।

पश्चिम एशिया में युद्धविराम समझौता टूटने के बाद अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे के खिलाफ हमलों का सिलसिला तेज कर दिया है। जब ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम चल रहे थे, ठीक उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस युद्धविराम की समाप्ति की घोषणा कर दी। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने मशहद सहित ईरान के विभिन्न हिस्सों में हवाई हमले किए, जिनमें कई लोग मारे गए। इस भीषण संघर्ष का मुख्य कारण होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण है, जहां ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) ने वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन पर सख्त निगरानी और प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार स्टेशनों, मिसाइल ठिकानों और सैन्य जहाजों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों, वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए हैं।

पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में बढ़ती महंगाई, बिजली की दरों में बढ़ोतरी और विवादास्पद चुनावी व्यवस्था के खिलाफ जनता सड़कों पर है, जिससे वहां की स्थिति दिन प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। स्थानीय पुलिस द्वारा अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान सरकार ने इस जनआंदोलन को कुचलने का जिम्मा पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया है। सेना की इस दमनकारी कार्रवाई और गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। हालांकि, मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। सेना की इस दमनकारी प्रवृत्ति के कारण स्थानीय जनता में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आक्रोश तथा जनभावनाएं अत्यधिक उग्र होती जा रही हैं।

राष्ट्रीय

विवादित उपासना स्थलों पर सर्वोच्च न्यायालय का मध्यस्थता प्रस्ताव खारिज

इंकलाब (14 जुलाई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल के श्री हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद विवाद को आपसी विचार-विमर्श से सुलझाने के लिए विशेष लोक अदालत में भेज दिया था। 'समाधान समारोह' नामक इस विशेष लोक अदालत का आयोजन 21 अगस्त से 23 अगस्त तक सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में ही किया जाना तय हुआ था। हालांकि, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस लोक अदालत के जरिए अपने विवादों को सुलझाने से साफ इनकार कर दिया। दोनों पक्षों का कहना है कि वे अदालत में ही मुकदमा लड़कर अंतिम कानूनी फैसला चाहते हैं।

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में इन तीन विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित कई याचिकाएं विचाराधीन हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि संसद द्वारा पारित पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कारण हिंदुओं को इन धार्मिक स्थलों के विवादों को अदालतों में उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को पत्र लिखकर कहा था कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित 'समाधान समारोह 2026' में आपसी बातचीत और मध्यस्थता के जरिए इस विवाद को सुलझा सकते हैं। अदालत ने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया था कि विभिन्न अदालतों में विचाराधीन लाखों मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए इस विवाद को लोक अदालत के जरिए सुलझाया जाए।

गौरतलब है कि संभल का श्री हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सिविल जज (सीनियर डिवीजन) चंदौसी द्वारा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने के आदेश को बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए सिविल अदालत के सर्वे आदेश को सही माना था।

उल्लेखनीय है कि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने सिविल अदालत में मुकदमा

दायर कर यह दावा किया था कि वर्ष 1526 में वहां स्थित प्राचीन हरिहर मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। सिविल अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की थी, जिसके सर्वेक्षण का मस्जिद प्रबंध समिति और स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया था। इसके कारण वहां हिंसा भड़क उठी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस झड़प में पांच लोगों की मौत हो गई थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी और विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया था। इसी तरह का विवाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के मामलों में भी चल रहा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर शीघ्र सुनवाई करने की सहमति जताई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने धार स्थित भोजशाला परिसर को मूल रूप से देवी सरस्वती (वाग्देवी) का मंदिर माना था। कमाल मौला मस्जिद प्रबंध समिति ने सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगाने और परिसर के भीतर पहले की तरह शुक्रवार (जुमा) को नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने और परिसर के भीतर नमाज बहाल करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार और धार जिला प्रशासन को यह निर्देश जरूर दिया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए भोजशाला परिसर के आसपास कोई उपयुक्त खाली जगह या वैकल्पिक भूमि अस्थाई रूप से उपलब्ध कराई जाए।

इंकलाब (6 जुलाई) के अनुसार मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद को मध्यस्थता से हल करने का सर्वोच्च न्यायालय का प्रयास विफल हो गया है। शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंध समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मथुरा में आयोजित एक विशेष लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इस लोक अदालत का गठन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। लोक अदालत की इस कार्यवाही में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष के प्रतिनिधि और उनके वकील मौजूद थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी प्रतिनिधि या वकील उपस्थित नहीं हुआ। हिंदू पक्ष के वकील महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई थी कि अगर मुस्लिम पक्ष स्वेच्छा से इस विवादित ढांचे को हटा लेता है तो हिंदू पक्ष उनके लिए किसी अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करने के लिए भी तैयार है।

हमारा समाज (15 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मुस्लिम पक्ष का यह मानना तर्कसंगत है कि इस विवाद को लोक अदालत में आपसी बातचीत से सुलझाने से कोई

लाभ नहीं होगा। समाचारपत्र ने कहा है कि जब संसद 1991 में कानून पारित करके यह स्पष्ट व्यवस्था कर चुकी है कि श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले को छोड़कर 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार किसी भी अन्य उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को नहीं बदला जाएगा और न ही नया विवाद उठाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस विवाद को उठाता है तो उसके लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इस स्पष्ट कानून के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय इसे कड़ाई से लागू करने के बजाय इस मुद्दे को लोक अदालत के हवाले करने पर क्यों जोर दे रहा है? संपादकीय में चिंता प्रकट की गई है कि इस तरह के न्यायिक दृष्टिकोण से देश की न्याय व्यवस्था के प्रति मुस्लिम समुदाय का विश्वास कम हो सकता है।

समाचारपत्र ने लिखा है कि अदालतों में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल के श्री हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहां स्थित प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके विपरीत मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मस्जिद की पुरानी स्थिति को ही बरकरार रखा जाए और संसद द्वारा पारित 'पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' को देखते हुए हिंदू पक्ष के दावों को खारिज किया जाए। इसी तरह मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में भी हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर बने प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था, इसलिए इस ढांचे को हटाकर यह पूरी भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी जाए।

वहीं, मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि वर्ष 1968 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें हिंदू पक्ष ने इस शाही मस्जिद के अस्तित्व को स्वीकार किया था। संभल के श्री हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद विवाद में भी हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर के काल में प्राचीन हरिहर मंदिर को ध्वस्त कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता पर जोर दिया तो दोनों पक्षों ने इसका विरोध किया। ऐसा इसलिए है, क्योंकि प्रत्येक पक्ष यह मानता है कि उसका दावा कानून व सबूतों के आधार पर मजबूत है और अदालती फैसले के जरिए ही इस विवाद का समाधान हो सकता है। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसी परिप्रेक्ष्य में संसद ने 1991 में

एक कानून पारित किया था। हालांकि, इस कानून की परिभाषा और इसे लागू करने के संबंध में विभिन्न अदालतों के दृष्टिकोण में भिन्नता रही है। वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद ऐसे विवादों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे सामाजिक समरसता खतरे में पड़ गई है।

औरंगाबाद टाइम्स (14 जुलाई) ने अपने संपादकीय में मुस्लिम पक्ष द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मध्यस्थता के प्रयास में भाग न लेने के फैसले का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि मस्जिदों के स्थान पर मंदिर होने के जो दावे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं, उन्हें तुरंत खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के अनुसार 15 अगस्त 1947 की स्थिति के पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को बदला नहीं जा सकता।

उर्दू टाइम्स (15 जुलाई) ने कहा है कि अगर इन तीनों विवादित ऐतिहासिक मस्जिदों के मामले का आपसी सहमति से समाधान हो भी जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में किसी अन्य मस्जिद या दरगाह को लेकर कोई नया दावा सामने नहीं आएगा? समाचारपत्र ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा पारित कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों के मनोनयन पर बवाल

औरंगाबाद टाइम्स (7 जुलाई) के अनुसार संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में सभी राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। इसी कानून के तहत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर उसमें 10 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जिनमें पहली बार दो हिंदू सदस्य-अनिमेष भार्गव और मनोज मालपानी भी शामिल हैं। इससे पहले राज्य वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम सदस्यों को ही मनोनीत किया जाता था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उसका तर्क है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है, इसलिए इसके प्रबंधन में किसी गैर-मुस्लिम को भागीदार नहीं बनाया जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने कभी भी अयोध्या, मथुरा या सोमनाथ मंदिर की प्रबंधन समितियों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की मांग नहीं की

समाचारपत्र ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है। जब यह मामला अदालत में विचाराधीन है तो मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या सरकार अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में मुसलमानों को भागीदार बनाने के लिए तैयार है? समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार मुसलमानों को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है।

उर्दू टाइम्स (12 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों के मनोनयन के बाद अब यह सिलसिला भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक और वक्फ विभाग के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का भी पुनर्गठन किया जाए और उसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाए। उनके इस बयान से स्पष्ट होता है कि सरकार धीरे-धीरे वक्फ के प्रबंधन से मुसलमानों को वंचित करना चाहती है।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि यह मामला केवल दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में मनोनीत करने का नहीं है, बल्कि यह इस्लामी सभ्यता और शरिया की व्यवस्था पर सीधा हमला है। इस्लाम में वक्फ की यह अवधारणा है कि कोई भी मुसलमान अपनी संपत्ति को अल्लाह की राह में हमेशा के लिए जनता, दीन और समाज कल्याण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समर्पित करता है। ऐसी संपत्ति को न तो कभी बेचा जा

है, इसलिए वक्फ बोर्ड के धार्मिक स्वरूप के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

इंकलाब (7 जुलाई) के अनुसार भोपाल में ताज-उल-मस्जिद के बाहर मुसलमानों की भीड़ ने भारी संख्या में एकत्र होकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को मनोनीत करने का विरोध किया है और राज्य सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (11 जुलाई) ने देश के मुसलमानों से यह अपील की है कि केंद्र सरकार की सांप्रदायिक नीतियों और इरादों के प्रति जागरूक रहें। समाचारपत्र ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और मुस्लिम हितों के खिलाफ लिए गए फैसलों के विरोध में आवाज उठानी चाहिए। समाचारपत्र ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि केंद्र सरकार ने जमीयत उलेमा, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमात-ए-इस्लामी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों के विरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सरकार के इस रुख से स्पष्ट होता है कि वह मुसलमानों की न्यायोचित मांगों पर ध्यान देने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है।

औरंगाबाद टाइम्स (8 जुलाई) ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को मनोनीत करने के फैसले की आलोचना की है।

सकता है, न ही उस पर वक्फ करने वाले का वारिस कोई दावा कर सकता है और न ही इसकी धार्मिक स्थिति को बदला जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, यतीमखाने, कब्रिस्तान और ईदगाह आदि जनकल्याणकारी संस्थाएं इन्हीं वक्फ संपत्तियों की आय पर चलाई जा रही हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए वक्फ का मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि धार्मिक और शरिया पर आधारित है।

समाचारपत्र ने कहा है कि सरकार जिस तरह से वक्फ के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है उससे कई तरह के खतरे पैदा हो गए हैं। अगर सरकार वास्तव में वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करना चाहती है तो पहले उसे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने दशकों से वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने, भ्रष्टाचार खत्म करने और इस संदर्भ में अदालतों में लंबित मुकदमों का तुरंत निपटारा करने की जरूरत है। अगर मुस्लिम समुदाय यह चाहता है कि उनकी वक्फ संस्थाएं पूरी तरह से स्वायत्त रहें तो उन्हें इस व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा।

अहमदाबाद बम धमाकों के 38 दोषियों का मृत्युदंड बरकरार

इंकलाब (8 जुलाई) के अनुसार गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मुकदमे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है और 11 अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। देश के न्यायिक इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ फांसी की सजा दिए जाने के फैसले की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। उल्लेखनीय है कि विशेष अदालत ने 2022 में इन 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे दोषियों ने गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. वाई. कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को इन धमाकों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और 200 से अधिक घायलों को

एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मुआवजा राशि का भुगतान 30 मार्च 2027 तक कर दिया जाए।

पुलिस द्वारा अदालत में दायर की गई चार्जशीट के अनुसार वर्ष 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए यह पूरी साजिश रची गई थी। मुफ्ती अबू बशीर ने आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल तैयार किया था और उन्हें केरल के वागामोन के जंगलों में बम बनाने तथा संचालित करने का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद आतंकवादी ट्रेन के जरिए केरल से अहमदाबाद आए थे, जबकि विस्फोटक सामग्री मुंबई से कार द्वारा अहमदाबाद लाई गई थी, जहां से इसे सूरत भी पहुंचाया गया था। इन धमाकों को अंजाम देने के लिए 13 साइकिलें खरीदी गई थीं, जिन पर टाइमर बम फिट किए गए थे। इस पूरी साजिश के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया गया था। परिणामस्वरूप 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर 14 अलग-अलग स्थानों पर 21 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इस मुकदमे की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी और कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान भी इसकी अदालती सुनवाई लगातार जारी रही। लगभग 13 वर्षों तक चली इस लंबी सुनवाई में कुल 80 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। विशेष अदालत के न्यायाधीश ए.आर. पटेल की पीठ के समक्ष इस मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई, जिसमें 1100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए और छह हजार से अधिक दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। इस मुकदमे में तीन लाख 47 हजार 800 पृष्ठों की चार्जशीट फाइल की गई थी। धमाकों के तुरंत बाद पुलिस ने अहदाबाद के सभी धमाका स्थलों और सूरत से बरामद बमों के मामलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थी, जिन्हें बाद में इकट्ठा करके कुल 30 मुकदमों में बदल दिया गया था। इस मामले में कुल 82 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि तीन आरोपी भागकर पाकिस्तान चले गए और एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। जांच के दौरान पुलिस ने यह साबित किया कि इन धमाकों के पीछे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का हाथ था।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अदालत के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है। उन्होंने इस फैसले को अप्रत्याशित और निराशाजनक बताया है। सीरियल बम धमाकों के कुल 49 दोषियों में से 39 को जमीयत उलेमा महाराष्ट्र की कानूनी सहायता कमेटी ने निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई थी। ये सभी आरोपी वर्ष 2008 से ही जेल में बंद हैं।

इंकलाब (9 जुलाई) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि दोषियों को अब सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने की आशा करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के ऐसे कई फैसलों को पलटा है, जिनमें लोगों को आतंकवाद के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। खास बात यह है कि पूर्व

के कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षपातपूर्ण और त्रुटिपूर्ण जांच के लिए जांच एजेंसियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसी विसंगतियां हैं, जिनके कारण निर्दोष लोग 15-20 वर्षों तक जेलों में बंद रहते हैं और बाद में उन्हें निर्दोष करार देकर बरी कर दिया जाता है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (8 जुलाई) ने अपने संपादकीय में अदालत के इस फैसले पर हैरानी प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस फैसले से अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। यह मुकदमा लगभग 13 वर्षों तक चला और इस लंबी सुनवाई के दौरान अदालत ने एक भी आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया। समाचारपत्र का कहना है कि देश के वर्तमान माहौल को देखते हुए आम जनता के मन में न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर संदेह की स्थिति पैदा होती है।

उत्तर प्रदेश में मदरसा सुधार समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी

इंकलाब (6 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक सुधार करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि भविष्य में इन मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जिनके पास बी.एड. या निर्धारित शिक्षण योग्यता की डिग्री होगी। मदरसा सुधार समिति द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के मसौदे पर राज्य के विभिन्न संबंधित विभाग गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस समीक्षा प्रक्रिया के पूरा होने के बाद एक विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष अगली कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई के लिए पेश की जाएगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 और उत्तर प्रदेश गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा नियमावली, 2016 के नियमों में बड़े संशोधन करने की सिफारिश की गई है। इन मदरसों के शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों की तर्ज पर सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून में

आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार अगर अब किसी शिक्षक या कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद पीड़ित शिक्षक इस फैसले को अदालत में भी चुनौती दे सकेंगे। शिक्षकों के खिलाफ लगने वाले आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सहायक शिक्षकों के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।

सरकारी सूत्रों का दावा है कि मदरसा व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों का मुख्य लक्ष्य शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना और शिक्षकों की सेवा को सुरक्षित करना है। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के महासचिव दीवान साहब जमान खान का कहना है कि मदरसों के पारंपरिक पाठ्यक्रम- जैसे अरबी, फारसी और धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसों से ही शिक्षित योग्य लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को मदरसों के आंतरिक और धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

इंकलाब (3 जुलाई) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के चार हजार से अधिक गैर-सहायता प्राप्त मदरसों की एटीएस द्वारा की जा रही जांच के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जांच शुरू करना अपने आप में कोई सजा देने वाली कार्रवाई नहीं है। जांच का मकसद केवल सच्चाई का पता लगाना है। अदालत ने यह भी माना कि राज्य सरकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह जांच करा रही है, इसलिए इस शुरुआती स्तर पर जांच की प्रक्रिया को रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है।

एतेमाद (13 जुलाई) के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 12 जिलों में संचालित गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक 18 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न जिलों का दौरा करके इन मदरसों की व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का अध्ययन करेगी। जिन 12 जिलों में जांच की जाएगी उनमें कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, नदिया, हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने जिले में कार्यरत इन मदरसों के वित्तीय संसाधनों, शिक्षकों और प्रबंधकों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भेजें। राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि राज्य में जो मदरसे बिना सरकारी मान्यता के अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, उन्हें बंद किया जाए।

एतेमाद (16 जुलाई) के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने अगले साल से राज्य के 456 मदरसों को दिए जाने वाले सरकारी अनुदान को बंद करने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस

प्रस्ताव को विधिवत मंजूरी दे दी है। इस नए प्रशासनिक ढांचे के तहत राज्य में सिर्फ उन्हीं मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को ही अनुदान दिया जाएगा, जो उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त होंगे।

अवधनामा (10 जुलाई) ने अपने संपादकीय में बिहार सरकार द्वारा मदरसों की जांच शुरू करने के फैसले की आलोचना की है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि जांच के नाम पर मदरसों को जबरन बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज का दावा है कि राज्य के अनेक मदरसों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी जो शिकायतें मिली थीं, उनके कारण सभी मदरसों की जांच करना जरूरी हो गया है। समाचारपत्र ने लिखा है कि भाजपा बिहार में जब से सत्तारूढ़ हुई है उसने विभिन्न बहानों की आड़ में मदरसों को बंद करने का अभियान तेज कर दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में आई है, वहां उसने इस्लाम और मुसलमानों की पहचान को मिटाने का अभियान शुरू कर दिया है। विभिन्न भाजपा शासित राज्य सरकारों ने मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी है तथा मदरसों को जबरन बंद कराया जा रहा है। समाचारपत्र ने यह भी लिखा है कि मदरसों में वंदे मातरम के गायन को जबरन अनिवार्य किया जा रहा है, जो यह इस्लाम के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ है। मदरसों में गरीब बच्चों को न केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ आवास और भोजन की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा मुसलमानों की नई पीढ़ी को इस्लाम और शिक्षा से दूर करना चाहती है।

कौमी तंजीम (14 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने का काम शुरू कर दिया है। सरकार ने मदरसों को अपना निशाना बनाया है और उन्हें बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही राज्य के 12 जिलों में मदरसों के सर्वेक्षण की नौटंकी शुरू की जा रही है। इससे साफ है कि भाजपा की नई सरकार मुसलमानों की नई पीढ़ी को इस्लाम, दीन और अरबी-फारसी की शिक्षा से दूर रखना चाहती है।

त्रिपुरा के शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य

उर्दू टाइम्स (8 जुलाई) के अनुसार त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' और राष्ट्रगान 'जन, गण मन' का गायन अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने कहा कि यह फैसला छात्रों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह फैसला इसलिए भी किया गया है ताकि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सके। राज्य सरकार का यह फैसला सभी सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी स्कूलों और मदरसों पर समान रूप से लागू होगा। नए नियमों के अनुसार हर स्कूल और मदरसे में कक्षा की शुरुआत वंदे मातरम के संपूर्ण गायन से होगी और इसके तुरंत बाद राष्ट्रगान जन गण मन का गायन किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' के गायन से संबंधित सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी समारोहों में अनिवार्य रूप से पहले संपूर्ण 'वंदे मातरम' और उसके बाद 'जन गण मन' गाया जाएगा। इस संबंध में 9 जुलाई को दिशा-निर्देश जारी करते हुए इस सरकारी फैसले को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में अपना राज्य गान मौजूद है, वहां भी इस नियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा। पिछले पांच महीनों में दूसरी बार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि वंदे मातरम के गायन के समय वहां उपस्थित सभी लोगों को इसके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। हालांकि, सिनेमाघरों में अगर यह किसी फिल्म का हिस्सा है तो वंदे मातरम का सामूहिक गायन या खड़ा होना अनिवार्य नहीं किया गया है।

औरंगाबाद टाइम्स (18 जुलाई) के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिया है कि सरकार संसद में राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए एक विधेयक पेश कर रही है। इस कानून में वंदे मातरम का अपमान करने, उसे जानबूझकर न गाने या उसका बहिष्कार करने वाले व्यक्ति के लिए तीन साल की जेल या एक लाख रुपये का जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान होगा।

अगर यह विधेयक संसद से पारित हो जाता है तो इससे भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और अन्य राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बराबर कानूनी दर्जा और सुरक्षा मिल जाएगी।

अखबार-ए-मशरिक (13 जुलाई) के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि सरकार राज्य में किसी भी वर्ग के धार्मिक अधिकारों पर किसी तरह का अतिक्रमण करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वंदे मातरम के गायन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग वंदे मातरम के गायन के दौरान अपना स्वर शामिल नहीं करेंगे और केवल चुपचाप खड़े रहेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ भड़काने के लिए यह झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि राज्य में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि "हम किसी भी वर्ग के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ हैं। यही कारण है कि इस बार पूरे राज्य में बकरीद और मुहर्रम के त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में कोलकाता हवाई अड्डे के परिसर के भीतर स्थित एक मस्जिद में प्रवेश को विनियमित करने के लिए कुछ प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी द्वारा दिया गया बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोलकाता हवाई अड्डा एक संवेदनशील और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो बांग्लादेश सीमा के करीब स्थित है, इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना बेहद जरूरी है और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया

इंकलाब (8 जुलाई) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया ने अपनी व्यापक रणनीतिक भागीदारी को नई बुलंदियों पर पहुंचाते हुए रक्षा, खनिज पदार्थ, समुद्री सुरक्षा, तकनीक, कृषि और औद्योगिक विकास समेत 16 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के कारण दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान जाकार्ता में वहां के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ इन 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि आज से भारत और इंडोनेशिया की भागीदारी में स्वर्ण युग की शुरुआत हुई है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2018 में रणनीतिक भागीदारी का जो समझौता हुआ था, उस दिशा में अब यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा रक्षा, सुरक्षा और समुद्री संबंधों में एक नया दौर शुरू होगा। दोनों नेताओं ने यह भी तय किया कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और रक्षा उत्पादन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जाए।

प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था (यूपीआई) का संपर्क इंडोनेशिया के भुगतान तंत्र से भी जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और आर्थिक लेनदेन में अत्यधिक सुविधा होगी। इसके साथ ही दोनों देश गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष मिलकर मनाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। अपनी तटीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इंडोनेशिया ने भारत

अभूतपूर्व है। दोनों देशों ने खनिज के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने का जो फैसला किया है, उससे लिथियम, निकेल और अन्य दुर्लभ खनिज पदार्थों का औद्योगिक विकास और आधुनिक तकनीक में महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित होगा। इस फैसले से दोनों देशों को औद्योगिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा।

से 22 करोड़ डॉलर मूल्य की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदने के समझौते को भी अंतिम रूप दिया है।

उर्दू टाइम्स (12 जुलाई) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के संबंध में दोनों देशों के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों में भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच सैन्य रसद सहयोग का समझौता भी शामिल है। दोनों देशों ने फैसला किया है कि 2030 तक आपसी द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर सात अरब डॉलर तक पहुंचा दिया जाएगा।

उर्दू टाइम्स (12 जुलाई) के अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती देते हुए यूरोनियम सहयोग, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, शिक्षा और आतंकवाद निरोधक सहयोग सहित 18 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति जताई है।

इंकलाब (8 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडोनेशिया मुस्लिम जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों वैश्विक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हुई है। जकार्ता पहुंचने पर जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, वह

समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे का एक राजनीतिक पहलू भी ध्यान देने योग्य है। दोनों देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर भी जोर दिया है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर भारत फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के मामले में गंभीर है तो प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख अपने इजरायल दौरे के समय क्यों नहीं किया था? उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर मौन क्यों धारण कर रखा था? इस संदर्भ में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वह बयान भी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने भारत को अपना सबसे बड़ा समर्थक बताया था। ऐसे हालात में अगर भारत अपनी विदेश नीति को संतुलित रखना चाहता है तो उसे बार-बार अपने रुख में बदलाव का संकेत देने के बजाय एक स्पष्ट, स्थिर और सैद्धांतिक विदेश नीति अपनानी चाहिए।

हिंदुस्तान (10 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हाल ही में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र का राजनीतिक और रणनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है। यही कारण है कि भारत को भी इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना पड़ा है। विश्व राजनीति में अमेरिका और चीन की बढ़ती होड़, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में गहराते तनाव को देखते हुए कूटनीतिक परिदृश्य बदल गया है।

विशेषकर खनिज क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका के कारण भारत को भी अपनी विदेश नीति को नया मोड़ देने पर विवश होना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया विदेश दौरों से यह साफ संकेत मिलता है कि भारत अब एशिया में अपने नए रणनीतिक सहयोगी तलाश रहा है। हालांकि, इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति के माध्यम से बहुत पहले ही कर दी थी।

समाचारपत्र के अनुसार भारत को इंडोनेशिया में उपलब्ध दुर्लभ खनिजों से अपने आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का एक नया अध्याय शुरू करने में बड़ी मदद मिलेगी। भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल आपूर्ति करने का जो ऐतिहासिक समझौता किया है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वैश्विक स्तर पर भारत अब रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भी तेजी से उभर रहा है। हालांकि, इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इंडोनेशिया लंबे समय से चीन का एक बड़ा आर्थिक सहयोगी रहा है। ऐसे में भारत ने इंडोनेशिया में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जिस 'सबांग बंदरगाह' को विकसित करने का समझौता किया है उससे निश्चित रूप से चीन की परेशानी बढ़ सकती है। यही वजह है कि भारत को इस पूरे घटनाक्रम में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है।

मुंसिफ (15 जुलाई) ने अपने संपादकीय में उल्लेख किया है कि नरेन्द्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेशी दौरे किए हैं। वे अब तक 85 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं, जहां उन्होंने 400 दिन बिताए हैं और उन्हें विदेशों से 35 सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को इतने देशों द्वारा सम्मानित किया जाता है तो उस देश की छवि, करेंसी और पासपोर्ट को भी वही सम्मानित दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि, यहां मामला बिल्कुल उलटा है। जिस देश के प्रधानमंत्री का विदेशी दौरों में विश्व के नेताओं के बीच सबसे ऊंचा स्थान रहा हो उस देश की साख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिन-प्रतिदिन गर्त में जा रही है। ग्लोबल इंडेक्स के आंकड़े बेहद शर्मनाक हैं। भुखमरी के क्षेत्र में भारत 102वें स्थान पर है। मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से भारत का स्थान 157वां है। महिलाओं की स्थिति के दृष्टिकोण से 146 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। वहीं, पर्यावरण के मामले में दुनिया के देशों में भारत 176वें पायदान पर है, जबकि पेयजल के क्षेत्र में स्थिति लगातार बदतर बनी हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी देश का दौर करते हैं तो 'गोदी मीडिया' पर बड़े-बड़े समझौतों और अरबों डॉलर के निवेश के दावे किए जाते हैं। उन्होंने पिछले 12 सालों में कई देशों के साथ समझौते किए और हर समझौता अरबों डॉलर का था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आज भारत का हर शहर और हर गांव बुनियादी ढांचे की दृष्टि से सबसे उन्नत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा

कुछ नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही जापान का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने 35 अरब डॉलर के निवेश के विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर करने का दावा किया था। आज तक इनमें से कितनी परियोजनाएं शुरू हुईं और कितना निवेश हुआ, इस बारे में कोई सरकारी अधिकारी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है।

मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का दौरा करके 22 अरब डॉलर और उसी साल संयुक्त अरब अमीरात के साथ 75 अरब डॉलर के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह सूची बहुत लंबी है। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया, लेकिन इन समझौतों का देश के विकास में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि, कई देशों में मोदी की मीडिया से दूरी और प्रेस की स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंध जरूर मजाक का केंद्र बने। हाल के दौरे में भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पत्रकारों ने मोदी की इस कमजोरी का खूब मजाक उड़ाया। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों से देश की शान और गौरव में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके उलट देश का गौरव गर्त में चला गया है, जो निश्चित रूप से एक गंभीर स्थिति है।

शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश लौटने की घोषणा

इंकलाब (11 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा की है कि वे हर हाल में इस साल के अंत तक अपने स्वदेश वापस जाएंगी। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए या फिर उनकी हत्या कर दी जाए, वे पीछे नहीं हटेंगी। शेख हसीना ने स्पष्ट किया कि वे अपनी पार्टी अवामी लीग के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बांग्लादेश जाएंगी और अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वे अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है और वे अपने देश वापस जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें फांसी की सजा सुनाई है।

शेख हसीना ने इन मुकदमों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सभी मामले पूरी तरह से झूठे हैं और वहां की सरकार ने राजनीतिक द्वेष के कारण उनके खिलाफ दायर किए हैं। सरकार का लक्ष्य अवामी लीग को बांग्लादेश की जनता से दूर करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो वहां राजनीतिक उथल-पुथल का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जिसका सीधा असर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी पड़ेगा।

औरंगाबाद टाइम्स (16 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (बीएफआईयू) ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके परिवार के सदस्यों और 10 व्यावसायिक समूहों की लगभग 6 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली है। अधिकारियों के अनुसार ये संपत्तियां

बांग्लादेश और विदेशों में स्थित हैं। बीएफआईयू के प्रमुख इख्तियारुद्दीन मोहम्मद मामून ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने, कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के बाद अदालत के आदेश पर की गई है।

उर्दू टाइम्स (16 जुलाई) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के स्वदेश लौटने के फैसले का स्वागत किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर वे बांग्लादेश वापस आती हैं तो उन्हें अदालत में चल रहे विभिन्न मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि शेख हसीना को भारत में शरण दिए जाने के कारण भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कटुता आ गई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान ने कहा कि "हम शेख हसीना के आने की घोषणा का स्वागत करते हैं, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि उन्हें उनके किए की सजा मिले। अगर शेख हसीना वापस आती हैं तो वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों को अपने बचाव के लिए ला सकती हैं ताकि वे कानूनी तरीके से इन मुकदमों का सामना कर सकें।"

सियासत (11 जुलाई) ने अपने संपादकीय में शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि शेख हसीना अपने जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेल रही हैं। उन्हें इससे पहले ही बांग्लादेश के विशेष ट्रिब्यूनल ने एक मामले में मौत की सजा सुनाई है। ऐसा लगता है कि शेख हसीना ने यह फैसला कानूनी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही लिया है। इस बात की भी चर्चाएं तेज हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार द्वारा भारत पर निरंतर यह दबाव डाला जा रहा था कि वह शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार को सौंप दे। हालांकि, वर्तमान स्थिति में स्पष्ट रूप से यह कहना संभव नहीं है कि हसीना का यह फैसला बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत सरकार पर बनाए जा रहे कूटनीतिक दबाव का ही परिणाम है।

बुर्का न पहनने पर 30 अफगान महिलाएं गिरफ्तार

औरंगाबाद टाइम्स (16 जुलाई) के अनुसार तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने हाल ही में सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया है कि वे देश में शरिया कानूनों को सख्ती से लागू करें। उनके इस आदेश के बाद काबुल में विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर बुर्का न पहनने या सार्वजनिक स्थानों पर बिना चेहरा ढके जाने के आरोप में 200 से अधिक महिलाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, सरकारी तौर पर यह संख्या 30 बताई जाती है। सरकार के इस कड़े रुख के कारण महिलाओं ने डर से अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है और कई परिवारों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपनी बेटियों को स्कूलों व कॉलेजों में भेजना बंद कर दिया है। उन्हें डर है कि तालिबान पुलिस उनकी बेटियों को गिरफ्तार कर सकती है।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने मुहर्रम के दौरान शिया समुदाय की धार्मिक गतिविधियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारण अफगानिस्तान के अनेक भागों में मुहर्रम के पारंपरिक जुलूस नहीं निकाले जा सके। इसके अतिरिक्त तालिबान पुलिस इस्लामिक लिबास न पहनने और निर्धारित लंबाई से छोटी दाढ़ी रखने वाले पुरुषों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। हाल ही में दाढ़ी न रखने या निर्धारित लंबाई से कम दाढ़ी रखने के आरोप में सैकड़ों पुरुषों को अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि तालिबान सरकार ने सुरक्षा और सूचना नियंत्रण का हवाला देते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है।

पीओजेके में नागरिकों पर सेना की बर्बरता जारी

इंकलाब (15 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा बढ़ती महंगाई, बिजली दरों में बढ़ोतरी और विवादास्पद चुनावी व्यवस्था के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों का जो सिलसिला चल रहा है, वह थमता नजर नहीं आ रहा है। ताजा घटनाक्रम में रावलाकोट के समीप मठियाल मेरा में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम नौ लोग मारे गए। गौरतलब है कि जून 2026 से जारी इस आंदोलन में अब तक 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

पीओजेके में नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर भारत सरकार भी कड़ा विरोध दर्ज कर चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि "पीओजेके में हो रहा प्रदर्शन वास्तव में वहां के लोगों के आक्रोश का नतीजा है, क्योंकि वे दशकों से शोषण, बुनियादी अधिकारों के अभाव और प्रशासनिक अत्याचारों की मार झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों की उचित मांगों को पूरा करने के बजाय पाकिस्तान सरकार ने पुलिस और सेना के जरिए बर्बरता ढाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने बेबस महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया है, भोजन व दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक दी है, इंटरनेट बंद कर दिया है और निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाई हैं, जिससे कई लोगों की जान चली गई है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के बाकी देश इन गंभीर अत्याचारों और दमनकारी हरकतों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराएंगे।"

विदेशी न्यूज एजेंसियों के अनुसार पूरे पीओजेके में सेना ने कर्फ्यू लगा रखा है तथा इंटरनेट व मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वह पीओजेके की इस विस्फोटक स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप करे। कर्फ्यू के कारण सभी बाजार बंद हैं और आवागमन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है, जिसके लोग अपने घरों में भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस संगठन के एक प्रवक्ता ने बीबीसी के संवाददाता को बताया कि स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया था। यही कारण है कि इस विस्फोटक स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अब इस पूरे क्षेत्र को सेना और अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर के हवाले कर दिया है।

चट्टान (14 जुलाई) के अनुसार बलूचिस्तान के वाशुक जिले में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने एक नाई की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग करके वहां काम कर रहे पांच लोगों की हत्या कर दी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने पुष्टि की है कि हमलावरों ने चुन-चुनकर निर्दोष पंजाबी श्रमिकों को अपना निशाना बनाया है।

चट्टान (12 जुलाई) के अनुसार बलूचिस्तान के जियारत इलाके में हुए तीन बड़े आतंकवादी हमलों में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पुष्टि की है कि हाल के दिनों में हुए इन आतंकवादी हमलों में 27 पुलिसकर्मी, 11 सैनिक और चार नागरिकों सहित कुल 42 लोग मारे गए हैं। वहीं, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 54 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों के पीछे प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) का हाथ है और सरकार के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि इन हमलों को एक पड़ोसी देश से समर्थन मिल रहा था।

अमेरिका में मुस्लिम विरोधी भावना में बढ़ोतरी

इंकलाब (16 जुलाई) के अनुसार अमेरिका के यूटा राज्य के वेस्ट वैली सिटी में स्थित वैली फेयर मॉल में एक मुस्लिम कर्मचारी सैयद सुहैलुद्दीन पर चाकू से हमला किया गया। 48 वर्षीय हमलावर पीटर माइकल लार्सन ने घटना को अंजाम देने से पहले पीड़ित से उसका नाम और धर्म पूछा था। जब उसने स्वयं को मुस्लिम बताया तो हमलावर ने उस पर चाकू से 15 से अधिक वार किए। घटनास्थल पर मौजूद कुछ आम नागरिकों ने तत्परता दिखाते हुए हमलावर को दबोच लिया और पुलिस के आने तक उसे काबू में रखा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने धार्मिक नफरत के कारण पीड़ित

को निशाना बनाया और वह मुसलमानों की हत्या करना चाहता है। गंभीर रूप से घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (सीएआईआर) ने इस नफरत से प्रेरित हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ समय से अमेरिकी समाज में बढ़ रहे मुस्लिम विरोधी दुष्प्रचार के कारण माहौल तनावपूर्ण हुआ है। सीएआईआर ने देश के नेताओं से अपील की है कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों और उनके संगठनों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए।

एतेमाद (17 जुलाई) के अनुसार 37 वर्षीय पीड़ित सैयद सुहैलुद्दीन भारत के हैदराबाद का रहने वाला है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिकी प्रशासन से मांग की है कि वे अमेरिका में रह रहे मुस्लिम और भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें।

उर्दू टाइम्स (17 जुलाई) के अनुसार ब्रिटेन में एक 14 वर्षीय नाबालिग पर आतंकवादी हमले की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार यह लड़का दक्षिण लंदन की दो मस्जिदों पर हमले की योजना बना रहा था। इससे पहले पुलिस ने इस लड़के को एक कार को नुकसान पहुंचाने के आरोप में हिरासत में लिया था। जब आतंकवाद निरोधक पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां से कुछ संदिग्ध दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुईं। इन दस्तावेजों से पुष्टि हुई कि वह मस्जिदों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था।

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई सुपुर्द–ए–खाक

इंकलाब (11 जुलाई) के अनुसार छह दिनों तक चले अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों के बाद ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम दिन मशहद में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। ईरानी मीडिया के अनुसार उनके अंतिम संस्कार के विभिन्न चरणों में चार करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए, जबकि उनकी शवयात्रा में दो लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार विश्व के इतिहास में आज तक किसी भी धार्मिक नेता के अंतिम संस्कार में इतनी बड़ी भीड़ ने हिस्सा नहीं लिया है। इस अवसर पर ईरान के पवित्र शहर मशहद की सड़कों पर 50 लाख से अधिक लोग एकत्र थे, जिन्होंने अपने हाथों में ईरानी झंडों के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ नारे लिखे बैनर उठा रखे थे। खामेनेई को श्रद्धांजलि देने वालों में विश्व के 100 से अधिक देशों के नेता शामिल थे।

गौरतलब है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के संयुक्त युद्ध की शुरुआत में मारे गए थे। इस हवाई हमले में उनके परिवार के पांच अन्य सदस्य और तीन वरिष्ठ सैन्य कमांडर भी मारे गए थे। अली खामेनेई को इतने समय तक इसलिए सुपुर्द-ए-खाक नहीं किया गया था, क्योंकि ईरान सरकार को डर था कि अमेरिका उनकी शवयात्रा पर हवाई हमले करके लोगों को निशाना बना सकता है। खामेनेई की शवयात्रा में उनके तीन बेटों ने भाग लिया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई प्रत्यक्ष रूप से कहीं नजर नहीं आए। बाद में ईरानी मीडिया ने दावा किया कि मोजतबा इस मौके पर नकाब ओढ़कर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी का प्रसारण इस डर से नहीं किया गया था कि कहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी और इजरायली खुफिया एजेंसी मिलकर उनकी हत्या न कर दें।

अयातुल्लाह अली खामेनेई को मशहद में शिया संप्रदाय के आठवें इमाम हजरत इमाम अली रजा के मकबरे के परिसर में दफनाया गया। इससे पहले खामेनेई के पार्थिव शरीर को इराक स्थित

शियाओं के पवित्रतम स्थानों- कर्बला और नजफ भी ले जाया गया था। गौरतलब है कि कर्बला में इमाम हुसैन की दरगाह और नजफ में शिया संप्रदाय के पहले इमाम हजरत अली की दरगाह है।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि "हम हर हाल में अमेरिका और इजरायल से खामेनेई की हत्या का बदला लेकर ही दम लेंगे।"

एतेमाद (8 जुलाई) के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि बदले का आखिरी चरण यरुशलम की स्वतंत्रता को प्राप्त करके ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि "हम खामेनेई के हत्यारों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे और उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मौत की सजा देंगे।" इस अवसर पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरानी जनता और सेना किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं है। ईरानी किसी भी हत्यारे को माफ नहीं करते और उससे बदला लेकर ही दम लेते हैं।

एतेमाद (7 जुलाई) के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि "हम ईरान की इज्जत, तरक्की और गौरव के उस रास्ते पर चलते रहेंगे, जिसकी शुरुआत अली खामेनेई ने की थी।" ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम-हुसैन मोहसेनी एजेई ने कहा है कि "खामेनेई के हत्यारों को हम मौत की सजा देंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें इससे नहीं रोक सकती।"

उर्दू टाइम्स (12 जुलाई) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि "हम अपने पिता और अन्य लोगों की हत्या का बदला लेने की शपथ लेते हैं। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हमारा दीनी और कौमी फर्ज है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा, चाहे हम जीवित रहें या न रहें। हम इस लक्ष्य को हर कीमत पर हासिल करेंगे और हत्यारों को शांति से मरने नहीं देंगे।"

उर्दू टाइम्स (6 जुलाई) के अनुसार अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ 'बदला बदला' के नारे लगा रही थी। खामेनेई की शवयात्रा की सुरक्षा में भारी संख्या में सैनिक तैनात थे। अली खामेनेई के ताबूत के ऊपर उनका काला अमामा (पगड़ी) रखा हुआ था, जो इस बात का संकेत था कि उनका संबंध पैगंबर के वंश से है। इस ताबूत के पीछे उनके परिजनों के अन्य ताबूत भी थे, जो उसी हवाई हमले में मारे गए थे।

ईरान और अमेरिका के बीच हमलों का सिलसिला फिर तेज

एतेमाद (9 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि ईरान के साथ अस्थाई युद्धविराम का जो समझौता हुआ था, वह अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला तेज कर दिया है।

उर्दू टाइम्स (14 जुलाई) के अनुसार ईरान ने अपने देश पर होने वाले ताजा अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि अमेरिका की इन सैन्य कार्रवाइयों ने पिछले कई महीनों से जारी तमाम राजनयिक कोशिशों को अर्थहीन और विफल बना दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्धविराम से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) अब खत्म हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के हालिया हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय नियमों और संप्रभुता के बुनियादी मूल्यों का खुला उल्लंघन है। दूसरी ओर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का मुख्य लक्ष्य होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरानी सैन्य क्षमता को खत्म करना है। ईरानी प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि दुश्मन की हर गतिविधि पर ईरानी सेना की कड़ी नजर है और वे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

इंकलाब (11 जुलाई) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि "ईरान के साथ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और इजरायल हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अपनी सैन्य शक्ति को पुनर्गठित कर रहे हैं। हमारी नीति बिल्कुल साफ है। हम ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देंगे। अगर इजरायल ने सही समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की बेहद करीब स्थिति में पहुंच जाता।"

इंकलाब (14 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी लागू करने की घोषणा की है। इस नाकेबंदी का लक्ष्य ईरान के जहाजों के आवागमन को रोकना है। दूसरी ओर, ईरानी सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि "हम अमेरिका को किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरूमध्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे और उसकी हर कोशिश को विफल बना देंगे।"

एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने 12 जुलाई से ईरान के विभिन्न सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में ईरान की वायु रक्षा प्रणाली, तटीय रडार, मिसाइल ठिकानों, जलयानों और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस कार्रवाई में अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन

हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी ओर, ईरानी न्यूज एजेंसी 'आईआरएनए' के अनुसार ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों, वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइल ठिकानों को अपना निशाना बनाया है और ये हमले आगे भी जारी रहेंगे। इस बीच कुवैत सेना के प्रमुख ने घोषणा की है कि कुवैत पर हमला करने वाली ईरानी मिसाइलों को विफल करने का अभियान लगातार जारी है।

इंकलाब (13 जुलाई) के अनुसार ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। आईआरजीसी के अनुसार ईरान ने एक ऐसे व्यावसायिक जहाज को अपना निशाना बनाया है, जिसने अपनी स्वचालित पहचान प्रणाली को बंद कर रखा था।

एक अन्य समाचार के अनुसार भारत ने ओमान के तट के पास साइप्रस के झंडे वाले जहाज 'जीएफएस गैलेक्सी' पर ईरानी हमले की निंदा की है। इस जहाज पर 11 भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक की मृत्यु हो गई है।

उर्दू टाइम्स (13 जुलाई) के अनुसार कतर ने बढ़ते सैन्य हमलों को देखते हुए अपनी तमाम समुद्री गतिविधियों को स्थगित करने की घोषणा की है। कतर ने ईरानी हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर हमारे देश और हमारे जहाजों पर हमला कर रहा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी अरब और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने पश्चिम एशिया में बिगड़ती हुई स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया की इस बिगड़ती स्थिति के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से बातचीत की है।

उर्दू टाइम्स (17 जुलाई) के अनुसार ईरान ने स्पष्ट किया है कि उसका अपने पड़ोसी देशों या इस क्षेत्र के मुस्लिम देशों के साथ युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान पर हमलों का यह सिलसिला जारी रखा तो युद्ध के नए मोर्चे कई अन्य देशों में भी खुल सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह उनके खिलाफ नहीं है। दूसरी ओर, वह अमेरिका को यह संदेश भी दे रहा है कि अगर उसने हमलों का सिलसिला जारी रखा तो युद्ध की ज्वाला अन्य देशों में भी भड़क सकती है। इस बीच सऊदी अरब समेत अन्य खाड़ी देशों ने एकजुट होकर ईरानी हमलों का मुकाबला करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी घोषणा की है कि अगर खाड़ी देशों का कोई सैन्य गठबंधन बनता है तो उसमें वह भी शामिल होगा।

एतेमाद (17 जुलाई) के अनुसार अमेरिका ने सऊदी अरब को दो अरब डॉलर मूल्य के हथियारों की आपूर्ति करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला एक मित्र देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। इस समझौते के तहत सऊदी अरब को रॉकेट लॉन्चर, वारहेड,

स्पेयर पार्ट्स, मिसाइल और अत्याधुनिक सटीक हथियार प्रणालियों की आपूर्ति की जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि सऊदी अरब के अतिरिक्त कुवैत को भी उसकी वायु सेना को मजबूत बनाने के लिए 484 मिलियन डॉलर का रक्षा पैकेज दिया जा रहा है। इस फैसले से दोनों देशों की रक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच युद्ध की ज्वाला भड़कने का खतरा पैदा हो गया है।

अखबार-ए-मशरिक (16 जुलाई) ने अपने संपादकीय में आलोचना की है कि अमेरिका ने युद्धविराम की समाप्ति की घोषणा उस समय की जब ईरान अपने सर्वोच्च नेता के शोक में डूबा हुआ था। अमेरिका की इस्लाम दुश्मनी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसने शवयात्रा में शामिल शोकाकुल लोगों को भी अपने हवाई हमलों का निशाना बनाने से भी गुरेज नहीं किया। समाचारपत्र ने कहा है कि हकीकत यह है कि अभी तक पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश इस्लाम, रसूल और कुरान की रक्षा के लिए एकजुट नहीं हुए हैं। उनके आपसी मतभेदों का लाभ अमेरिका और इजरायल उठा रहे हैं और वे इस पूरे क्षेत्र में 'ग्रेटर इजरायल' की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं।

उर्दू टाइम्स (17 जुलाई) ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के भयानक साए पुन: मंडराने लगे हैं। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि युद्धविराम का समझौता होने के बावजूद ईरान पर पहले इजरायल और बाद में अमेरिका ने हमले शुरू किए। पाकिस्तान और कतर ने इस युद्ध को टालने का प्रयास किया था, लेकिन अमेरिका के आक्रामक रुख के कारण यह संभव नहीं हुआ। अमेरिका ने जब ईरान पर हमले शुरू किए तो इसके जवाब में ईरान ने उन सभी मुस्लिम देशों पर भी हमले किए, जिन्होंने अपनी भूमि पर अमेरिका को सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे रखी है।

समाचारपत्र का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की दोहरी नीति रही है। एक ओर तो वे शांति के दावे करते हैं तो दूसरी तरफ युद्ध को हवा देते हैं। ट्रम्प को यह भनक लग चुकी है कि वे ईरान के निशाने पर हैं, इसलिए उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी हत्या का प्रयास किया गया तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। इस धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने धमकी दी है कि

वे अपने पिता की हत्या का बदला हर हाल में लेंगे।

समाचारपत्र ने इस बात की कड़ी निंदा की है कि कुछ मुस्लिम देश 'मीर जाफर' की भांति गद्दारी कर रहे हैं और अमेरिकी इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। इसके कारण इस्लामिक एकता खतरे में पड़ गई है। मुस्लिम देशों को यह याद रखना चाहिए कि अगर उन्होंने इस बार ईरान का साथ नहीं दिया तो आने वाले दिनों में अमेरिका एक-एक करके मुस्लिम देशों को खत्म कर देगा और उन्हें इजरायल के हवाले कर देगा ताकि वह 'ग्रेटर इजरायल' के अपने सपने को पूरा कर सके।

हिंदुस्तान (13 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका और ईरान का यह युद्ध एक ऐसी पहेली बनता जा रहा है, जिसे समझना बेहद कठिन है। एक ओर तो युद्धविराम के प्रयास और समझौते के दावे किए जाते हैं तो दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी आदत के अनुसार यू-टर्न लेते हुए इस समझौते को खत्म करने की घोषणा कर देते हैं। अफसोस की बात यह है कि जब ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, ठीक उसी समय अमेरिका ने अंधाधुंध बमबारी की, जिसमें अंतिम संस्कार में शामिल लगभग दो दर्जन लोग मारे गए। समाचारपत्र ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे ईरान का साथ दें, नहीं तो विश्व में इस्लाम का नामोनिशान मिट जाएगा और इस पूरे क्षेत्र पर यहूदियों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। ■

सऊदी अरब पर हूतियों का बड़ा हमला

अवधनामा (15 जुलाई) के अनुसार ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित अबहा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया है। हूती मिलिशिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके विश्व भर की विमान कंपनियों को आगाह किया है कि अगर उन्होंने सऊदी अरब का रुख किया तो उनके जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा। हूतियों के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि सऊदी अरब ने साना अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो हवाई हमला किया था उसके जवाब में यह कार्रवाई की गई है और उस पर हमलों का यह सिलसिला जारी रहेगा।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने सऊदी अरब पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद

अल-बुदैवी ने अपने बयान में कहा है कि हूतियों का यह हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि इन हमलों को रोकने के लिए ईरान पर दबाव डाला जाए, क्योंकि इन हमलों में बेगुनाह नागरिक मारे जा रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (15 जुलाई) के अनुसार इस हमले के बाद सऊदी अरब ने हूतियों को सबक सिखाने की धमकी दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि हूतियों के इन हमलों को न रोका गया तो ईरान को निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले हूतियों ने सऊदी अरब के विमानों को भी अपने मिसाइलों का निशाना बनाया था। हूती शीर्ष नेतृत्व का दावा है कि इस हमले में सऊदी वायु सेना के लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। सऊदी अरब की धमकी के बाद हूतियों ने अपने हवाई ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है।

अल-जजीरा के अनुसार सऊदी सरकार यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करती है। सऊदी नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की ने दावा किया है कि हूती इस क्षेत्र को युद्ध की ओर धकेल रहे हैं और उनकी हरकतों से सऊदी अरब और ईरान के बीच एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने एक बयान में कहा है कि हूती सऊदी हवाई अड्डों, सऊदी सेना के सैन्य ठिकानों और वायुसेना को अपना निशाना बनाना जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब अमेरिका की कठपुतली बनकर अरबों की एकता के स्वप्न को तार-तार कर रहा है।

सियासत (6 जुलाई) के अनुसार यमन में हूती विद्रोहियों ने सरकारी सेना की छावनी पर हमले किए, जिसमें कम से कम 14 सैनिक मारे गए। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' के अनुसार यह हमला यमन के पश्चिमी प्रांत अल-हुदैदाह के अल-जदीद क्षेत्र में हुआ। यमनी सरकार के एक उच्चाधिकारी ने बताया कि सरकारी सैनिकों ने हूतियों के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और यह संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा, जिसमें दो दर्जन से अधिक हूती विद्रोही मारे गए। ■

हमास ने गाजा प्रशासन से खींचे हाथ

औरंगाबाद टाइम्स (17 जुलाई) के अनुसार फिलिस्तीनी संगठन हमास ने 19 साल बाद गाजा पट्टी में स्थित अपनी प्रशासनिक इकाइयों को भंग कर दिया है और अपना मुख्यालय खाली कर दिया है। उसके इस फैसले को गाजा की समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

बताया जा रहा है। हमास ने साल 2007 में फतह आंदोलन से सत्ता छीनने के बाद गाजा का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। पिछले साल युद्धविराम के दौरान हमास ने इस बात का संकेत दिया था कि वह प्रशासनिक मामलों से अलग होने के लिए तैयार है, लेकिन उसका सैन्य ढांचा और हथियारों के भंडार गाजा में ही रहेंगे।

गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकारी आपातकालीन कमेटी के प्रमुख मोहम्मद अल-फर्रा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और प्रशासनिक समिति को भंग कर दिया है ताकि तयशुदा प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। हमास के प्रवक्ता हाजेम कासिम ने कहा है कि हमास ने गाजा प्रशासन से अलग होने का फैसला इसलिए किया है ताकि इजरायल को गाजा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का कोई बहाना न मिले। उन्होंने कहा कि अब गाजा के प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति (एनसीएजी) को गाजा का नागरिक प्रबंधन संभालने का अवसर मिल जाएगा।

एतेमाद (11 जुलाई) के अनुसार इजरायली सेना ने गाजा के विभिन्न क्षेत्रों में युद्धविराम का उल्लंघन जारी रखा है। इजरायली तोपखाने और वायुसेना के हमलों में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। अल-अब्बास चौक के पास एक वाहन पर इजरायली ड्रोन हमले में छह फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इसके अतिरिक्त शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, जिनमें खान यूनिस कैंप में मारे गए दो दर्जन फिलिस्तीनी भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में हुए युद्धविराम के बाद से अब तक इजरायली सेना गाजा में 2200 से अधिक फिलिस्तीनियों की हत्या कर चुकी है और चार हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं।

कौमी तंजीम (17 जुलाई) के अनुसार इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने मध्य गाजा में मिसाइल हमले के जरिए हमास के सैन्य विंग के एक कमांडर को मार गिराया है। मारे गए कमांडर का नाम उमर अहमद अबू कासिम बताया जाता है, जो इजरायल पर होने वाले हमलों का मुख्य संचालक था।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 जुलाई) ने अपने संपादकीय में हमास द्वारा गाजा प्रशासन छोड़ने के फैसले को एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि कई वर्षों के युद्ध के कारण गाजा का बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ऐसे में गाजा के पुनर्निर्माण और अंतर्रराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास जीतने के लिए हमास ने एक स्वतंत्र व तकनीकी समिति को सौंपने का फैसला किया है ताकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता और पुनर्निर्माण का कार्य पारदर्शी तरीके से शुरू हो सके। हालांकि, इजरायल ने हमास की इस घोषणा को नाकाफी बताया है। इजरायल का कहना है कि असली समस्या हमास का सैन्य ढांचा और हथियारों के भंडार हैं। जब तक हमास का पूरी तरह नि:शस्त्रीकरण नहीं होता और वह अपने हथियार किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी

को नहीं सौंपता तब तक गाजा का पुनर्निर्माण संभव नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर की जरूरत है, जो फिलिस्तीनी गुटों की एकजुटता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भरोसे के बाद ही मिल सकती है। इस पूरे परिदृश्य में मिस्र, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित पूरे अरब जगत के साथ-साथ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की बड़ी जिम्मेदारी है।

फिलिस्तीनी ग्रैंड मुफ्ती के अल–अक्सा प्रवेश पर प्रतिबंध

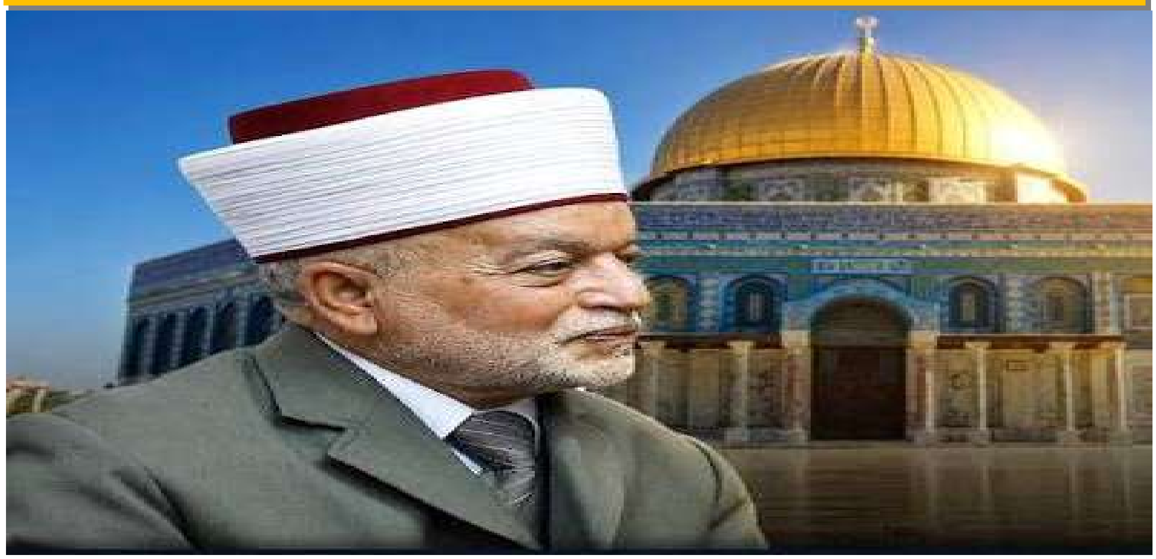

एतेमाद (12 जुलाई) के अनुसार इजरायली सरकार ने फिलिस्तीन के ग्रैंड मुफ्ती शेख मोहम्मद हुसैन को हिरासत में लेने के बाद मस्जिद अल-अक्सा परिसर में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम फिलिस्तीनी धार्मिक नेताओं के खिलाफ इजरायली कार्रवाइयों का हिस्सा है। इजरायली सुरक्षा बलों ने अल-अक्सा मस्जिद में खुतबा देने के दौरान उन्हें हिरासत में लिया और परिसर से बाहर ले गए। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन मस्जिद में प्रवेश पर रोक लगा दी गई।

बताया जाता है कि ग्रैंड मुफ्ती को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने इजरायली हमलों में मारे गए फिलिस्तीनियों के लिए दुआ की थी और इजरायली सेना द्वारा बंधक बनाए गए फिलिस्तीनियों को तुरंत मुक्त करने की मांग की थी। इससे पहले पूर्व ग्रैंड मुफ्ती एकरीमा सईद सबरी को भी इसी तरह हिरासत में लिया गया था। फिलिस्तीनी वक्फ और धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार जून महीने से लेकर अब तक इजरायली सेना ने अल-अक्सा परिसर में 26 बार घुसकर लोगों को गिरफ्तार किया है।

उर्दू टाइम्स (17 जुलाई) के अनुसार इजरायल की सत्ताधारी लिकुड पार्टी ने मांग की है कि अल-अक्सा मस्जिद को अरबों के प्रवेश के लिए स्थाई रूप से बंद कर दिया जाए और उस क्षेत्र में यहूदियों को अधिक संख्या में बसाया जाए ताकि यहूदी बिना किसी रोक-टोक के टेंपल माउंट परिसर में प्रवेश करके प्रार्थना कर सकें। इन यहूदियों की सुरक्षा का जिम्मा इजरायली सेना पर होना चाहिए। इस संदर्भ में इजरायली संसद में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी भी चल रही है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

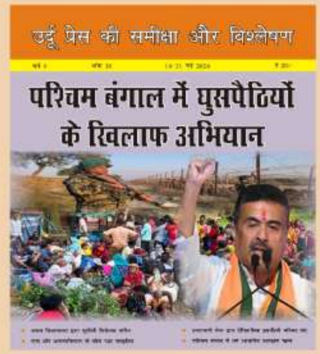

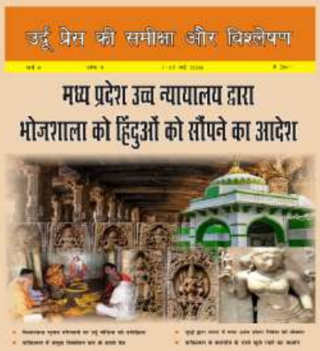

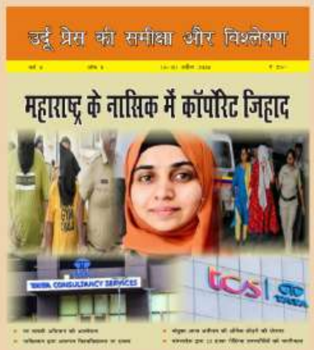

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-79687620

ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com

वेबसाइट : www.ipf.org.in